प्रेषक,

महानिदेशक
परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश
जगत नरायन रोड, लखनऊ

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– प0क0/08–प्रषि0/आशा ड्रग किट/2013–14/3282-75 दिनांक– 10 .9. 2013

विषय– आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित PIP वर्ष 2013–14 के एफ0एम0आर0 कोड सं0–B16.2.5.2 के अन्तर्गत रू0 300/– प्रति आशा की दर से औषधियों हेतु अनुमोदित किया गया है जिसका जनपदवार विवरण निम्नानुसार है।

ASHA Drug Kit

Sl.	Districts	No. of blocks	No of ASHA	Drug Kit replenishment for ASHAs @ Rs. 300/ASHA (In Lacs) FMR-B16.2.5.2
1	Agra	15	2094	6.28
2	Aligarh	12	2153	6.46
3	Allahabad	20	3666	11.00
4	Ambedkar Nagar	9	2317	6.95
5	Auraiya	7	984	2.95
6	Azamgarh	22	2763	8.29
7	Bagpat	6	875	2.62
8	Bahraich	14	2160	6.48
9	Ballia	17	2518	7.55
10	Balrampur	9	1435	4.30
11	Banda	8	1075	3.22
12	Barabanki	15	2502	7.51
13	Bareilly	15	1868	5.61
14	Basti	14	1989	5.97
15	Bhadohi (Sant Ravidas Nagar)	6	1177	3.53
16	Bhim Nagar (Sambhal)	8	1378	4.13
17	Bijnor	11	2155	6.46
18	Budaun	15	2050	6.15
19	Bulandshahar	16	2060	6.18
20	Chandauli	9	1587	4.76
21	Chitrakoot	5	725	2.17

22	CSM Nagar (Amethi)	16	2060	6.18
23	Deoria	16	2264	6.79
24	Etah	8	1411	4.23
25	Etawah	8	1095	3.28
26	Faizabad	11	2298	6.89
27	Farrukhabad	7	1176	3.53
28	Fatehpur	13	1714	5.14
29	Firozabad	9	1232	3.70
30	G.B.Nagar	4	538	1.62
31	Ghaziabad	4	516	1.55
32	Ghazipur	16	2923	8.77
33	Gonda	16	2484	7.45
34	Gorakhpur	19	2283	6.85
35	Hamirpur	7	849	2.55
36	Hardoi	19	2558	7.67
37	Hathras	7	1084	3.25
38	Jalaun	9	855	2.57
39	Jaunpur	21	3803	11.41
40	Jhansi	8	1095	3.28
41	JP Nagar (Amroha)	6	927	2.78
42	Kannauj	8	1463	4.39
43	Kanpur Nagar	10	1396	4.19
44	Kanpur Dehat (Rama Bai Nagr.)	10	1608	4.82
45	Kashi Ram Nagar (Kasganj)	7	1045	3.13
46	Kaushambi	8	1248	3.74
47	Kushinagar	14	2684	8.05
48	Lakhimpur Kheri	15	2921	8.76
49	Lalitpur	6	743	2.23
50	Lucknow	8	1245	3.73
51	Maharajganj	12	1960	5.88
52	Mahoba	4	633	1.90
53	Mainpuri	9	1425	4.28
54	Mathura	10	1514	4.54
55	Mau	9	1598	4.79
56	Meerut	12	1313	3.94
57	Mirzapur	12	1641	4.92
58	Moradabad	8	1492	4.48
59	Muzaffarnagar	9	1579	4.74
60	Panchshil Nagar (Hapur)	4	504	1.51
61	Pilibhit	7	992	2.97
62	Prabhuddha Nagar (Shamli)	5	794	2.38
63	Pratapgarh	17	2851	8.55

64	Rae Bareli	15	1885	5.66
65	Rampur	6	1362	4.09
66	Saharanpur	11	1769	5.31
67	Sant Kabir Nagar	9	1116	3.35
68	Shahjahanpur	15	1865	5.60
69	Shrawasti	5	915	2.75
70	Siddharth Nagar	14	1752	5.26
71	Sitapur	19	2879	8.64
72	Sonbhadra	8	1094	3.28
73	Sultanpur	13	2298	6.89
74	Unnao	16	2224	6.67
75	Varanasi	8	1778	5.33
	Total	820	126280	378.84

आशा ड्रग किट दिये जाने हेतु दिशानिर्देश–

1. आशा ड्रग किट का उद्देश्य प्रदेश की सभी आशाओं को त्वरित एवं सीमित उपचार हेतु आवश्यक दवायें निःशुल्क वितरण हेतु दी जानी है।
2. आशा ड्रग किट दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टाक उपलब्ध रहे। दवाओं पर चिपके हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं अतः प्रयास होना चाहियें कि दवायें अलग अलग रंगो में हों। जिससे कि आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।
3. भारत सरकार द्वारा आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध में जारी माडल दिशा निर्देशों के अनुरुप ड्रग किट में निम्न औषधियों को आशाओं को दिया जाने का प्रावधान है।

Sr.No.	Particulars	Qty.
1	DDK	10
2	IFA Tablets (Large)*	1000
4	ORS Packet (WHO)*	100
5	Tab. Paracetamol	200
6	Tab. Dicyclomin	50
7	Povidine Onitment 20 gm.	2
8	Cotton Absorbent Roll(500 gm)	1
9	Bandage 4 cm X 4 mtr	10
10	Tab. Chloroquine*	50 Tab.
11	Condoms*	500
12	Oral Pills (In Cycles)*	300

*From existing stock at Sub Centre/PHC under Malaria, MCH and FW Program

4. भारत सरकार के पत्र संख्या A11033 / 45 / Trg दिनांक अक्टूबर 2009 के द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आशा ड्रग किट में उपलब्ध औषधियों की सूची व मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है।

5. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पुरुष बहुउददेशीय कर्मी अथवा आशा फैसेलिटेटर को दवाओं के नियमित रिफलिंग हेतु जिम्मेदारी दी जा सकती है। पुरुष बहुउददेशीय कर्मी न होने की दशा में ए0एन0एम0 को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। आशा फैसेलिटेटर की उपलब्धता की स्थिति में आशा फैसेलिटेटर को इस कार्य हेतु वरीयता दी जायेगी।
6. आशाओं की प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाली क्लस्टर आधारित मासिक बैठकों में पुरुष बहुउददेशीय कर्मी अथवा आशा फैसेलिटेटर को प्रतिभाग करना आवश्यक होगा तथा उनके द्वारा ड्रग किट की रिफलिंग प्रत्येक माह अथवा दो माह में एक बार की जायेगी।
7. प्रथम बार दिये जाने वाली ड्रग किट में 3 माह का स्टाक दिया जायेगा तथा इसके पश्चात निर्धारित समय पर बहुउददेशीय कर्मी अथवा आशा फैसेलिटेटर द्वारा आशा के पास बचे हुए स्टाक की जानकारी करने के बाद इस प्रकार रिफिल किया जायेगा जिससे आशा के पास फिर से अगले तीन माह का स्टाक नियमित हो जाय। शुरुआत में रिफिल करने हेतु दवाओं की एक निश्चित मात्रा निर्धारित कर आशा के ड्रग किट की रिफलिंग की जा सकती है किन्तु बाद में इस प्रकिया के स्थापित हो जाने के पश्चात ड्रग किट की आवश्यकता के आधार पर ही रिफलिंग किया जाना उचित होगा।
8. ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं को प्लास्टिक की बोतल अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी लिफाफे/कवर में प्रत्येक दवा के पहचान चिन्ह को प्रदर्शित किया जायेगा। इसके पश्चात दवा के पहचान चिन्ह, रंग व आकार के अनुरूप दवायें इस प्रकार रिफिल की जायेंगी जिससे कि आशायें भ्रमित न हों। रिफलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से ड्रग किट में कोई दवा Expiry date के निकट हो या Expire हो गई हों तो उन्हे तत्काल बदल दिया जाय तथा इस बात को ध्यान रखा जाय कि ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry date कम से कम 1 वर्ष बाद की हो। आशाओं के उपयोग हेतु रजिस्टर का प्रारूप उपलब्ध है (प्रारूप 1), इसकी एक प्रति बहुउददेशीय कर्मी अथवा आशा फैसेलिटेटर के पास भी रहेगी जिसका उपयोग वह आशा ड्रग किट की रिफिलिंग करते समय करेंगे। इसके साथ ही साथ उनके पास एक कान्सोलिडेटेड रिफिल स्टेटमेंट रजिस्टर (प्रारूप 2) होगा जो उनके द्वारा ब्लाक अथवा जनपद स्तरीय स्टोर्स को दिया जायेगा जहाँ से वे दवायें प्राप्त करेंगे।

आशा ड्रग किट स्टाक रजिस्टर का प्रारूप (प्रारूप 1)

क्रम सं0	औषधि का नाम	औषधि का चिन्ह	माह के आरम्भ में अवशेष	माह में प्राप्त औषधि	कुल अवशेष औषधि	माह में खर्च	अन्तिम
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रभारी चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर

नामित स्वास्थ्यकर्मी के हस्ताक्षर

आशा के हस्ताक्षर

नामित स्वास्थ्यकर्मी के स्तर पर कन्सोलिडेटेड रिफिल स्टेटमेंट रजिस्टर का प्रारूप (प्रारूप 2)

क्र0 सं0	औषधि का नाम	आशा के स्तर पर कुल औषधियों का स्टाक	कुल औषधियाँ जो हटा ली गई	कुल ड्रग रिफिल की मात्रा
1	2	3	4	5

नामित स्वास्थ्यकर्मी के हस्ताक्षर

9. बहुउद्देशीय कर्मी अथवा आशा फैसेलिटेटर प्रत्येक आशा मासिक बैठक के पूर्व दवायें अपने ब्लाक के स्टोर से प्राप्त करेंगे तथा दवाओं के वितरण होने तथा बैठक समाप्ति के पश्चात बाकी की बची दवायें अपने स्टोर को निर्धारित प्रपत्र पर दवाओं के वितरण की स्थिति पूर्ण विवरण के साथ जमा करेंगें।

10. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से ए0एन0एम0 के स्तर पर तत्पश्चात आशा फैसेलिटेटर के स्तर पर दी गई दवाओं के बेहतर वितरण व्यवस्था व उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु जिम्मेदारी दी जाये। आशा मेंटोरिंग ग्रुप के सदस्यों को उपरोक्त के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने की प्रक्रिया से बैठकों में अवगत कराया जाय जिससे उनके द्वारा भी प्रक्रिया में सहभागिता की जा सके।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

महानिदेशक,
परिवार कल्याण

पत्र संख्या– प0क0/08–प्रशि0/आशा ड्रग किट/2012–13/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, उ0प्र0।
7. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
8. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।
9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा निर्देशों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक,
परिवार कल्याण